

कार्यालय जिलाधिकारी, Banda

(छनन अनुभाग)

पत्रांक -UP/Banda/No-4452, Dated: 04-01-2025

दिनांक : 04-01-2025

ई-निविदा सह है-नीलामी आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है की जनरल Banda में नहीं तल में उत्तर प्रदेश उपखनिन (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-23(1) के अंतर्गत ई-निविदा सह है-नीलामी प्रक्रमी के माध्यम से उक्त नियमावली के अन्तर्गत-4 के उद्देश छनन पट्टा पर स्वीकृत किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश अधिकारी द्वारा इन्हें अधिकारी/संस्थाएँ को नियमित शर्तों व आवश्यकाना/अवधि में ई-निविदा सह है-नीलामी आमंत्रित किया जाता है-

1. अंतर का विवरण:-

क्रमसं.	प्रियोक्ता की ओर संबद्धिकारी का नाम	उत्तर प्रदेश का नाम	क्षेत्र का विवरण	विद्योक्ताओं का विवरण		विद्यावासी 2021 के अनुसूची-1 के अनुसार राबन्डी दर (क्र. प्रति घन वर्ष)	विद्यका वार्षिक विवरण की सूची दरबन्डी का वर्ष	प्रथम वर्ष में विविध विवरण की सूची दरबन्डी का वर्ष	विद्यका वार्षिक विवरण की सूची दरबन्डी का वर्ष			
				विद्योक्ता का नाम	विद्योक्ता का नाम							
1	2174300205	Morium	Ken	Palani	khapthia Kalan khadar- 217430	100 का. आरा. क्षेत्र सं। 02	10.0000 A- 25°-40'40.3" B- 25°-40'38.51" C- 25°-40'32.64" D- 25°-40'27.83" E- 25°-40'28.34" F- 25°-40'28.81" G- 25°-40'30.81" H- 25°-40'30.68" I-25°-40'33.0" J- 25°-40'34.35"	A- 80°-21'15.7" B- 80°-21'19.67" C- 80°-21'40.4" D- 80°-21'39.12" E- 80°-21'33.17" F- 80°-21'27.28" G- 80°-21'20.05" H- 80°-21'13.31" I-80°-21'11" J- 80°-21'04.44"	150	239932	36988800.00	8997450.00
2	2174300203	Morium	Ken	Palani	khapthia Kalan khadar- 217430	368 का. आरा. क्षेत्र सं। 01	10.0000 A- 25°-40'37.8" B-25°-40'46" C- 25°-40'40.5" D- 25°-40'28.5"	A-80°-22'5.4" B- 80°-22'13.3" C- 80°-22'28.10" D- 80°-22'09.08"	150	239932	36988800.00	8997450.00
3	1553140201	Morium	Ken	Narsini	Kolawal Raipur- 155314	04	10.0000 A- 25°-15'57.04" B- 25°-15'43.88" C- 25°-15'35.69" D- 25°-15'33.52" E- 25°-15'34.37"	A- 80°-21'37.27" B- 80°-21'37.12" C- 80°-21'33.77" D- 80°-21'36.98" E- 80°-21'38.81"	150	130104	18515800.00	4878000.00

2. ई-निविदा सह है-नीलामी द्वारा नहीं तल में स्थिति उपखनिक के छनन पट्टा अधिकारी द्वारा 05 वर्ष के लिये स्वीकृत किये जायेंगे। पट्टे की अवधि की गणना खनन पट्टा विलेख नियमावली की लिये से की जाएगी।

3. ई-निविदा सह है-नीलामी की विड्डी/बोली उप अधिकारी की प्रति खनन मीटर के लिए दी जाएगी, जो उपर्युक्त उपखनिक (परिहार) नियमावली-2021 के अनुसूची-1 में विवरारित राबन्डी की दर से खनन नहीं होगी। इससे विड्डी/बोली द्वारा जाने पर विड्डी/बोली स्वीकार नहीं की जाएगी तथा यीक्षित प्रत्येक सभी खनन कर ली जाएगी प्राप्त उत्तराम विड्डी/बोली की दर (खनन प्रति खनन मीटर) को खेत्र में आकलित माला (खनन मीटर) से गुणा कर प्रथम वर्ष की नीलामी की दर से उत्तराम आगणित की जानेगी।

4. ई-निविदा सह है-नीलामी दो वर्षों में होगी। प्रथम वर्ष में ई-निविदा संपत्र की जानेगी जिसके द्वारान सभी विड्डी को एक बार ई-निविदा (e-tender) द्वारा की प्रदत्त दागा वा उनरीजित (Revise) नहीं किया जा सकेगा। ई-निविदा ने प्राप्त उत्तराम निविदा को आवार भूल (Floor Price) मानते हुए उत्तराम वर्ष में है-नीलामी कराया जायेगा, जिसके द्वारान विड्डी हेतु विवरारित लिये एक अवधि में है-नीलामी दर सहता है। है-नीलामी के द्वारान उत्तराम उत्तराम विड्डी को ही प्रत्यक्षित किया जायेगा जिसके देखते हुए विड्डी विड्डी जायेगा जोली उनरीजित कर द्वारा सकते हैं।

5. किसी छेत्र के ई-निविदा सह है-नीलामी हेतु विड्डी को विड्डी में खनन लेने से पूरी तरह विड्डी अन्तर्गत सभी खनन अवधि होगा, जिसकी गणना छेत्र में वार्षिक अकालित खनन योग्य माला एवं उपखनिक की राबन्डी दर से गुणा कर प्राप्त उत्तराम के 25 प्रतिशत होगा।

6.एम०एस०टी०सी० लिं० (भारत सरकार का उत्क्रम) को सेवा प्रदाता के रूप में नियमित किवा गया है। जिसके द्वारा राज्य सरकार की ओर से इनियिटिवा सह इनीलामी की कार्यवाही सम्पादित की जाएगी। इनियिटिवा सह इनीलामी द्वारा परिवार पर देने की सम्पूर्ण प्रक्रिया जॉनलाइन एम०एस०टी०सी० के हैं। ऑफिशल पोर्टल www.mstcecommerce.com पर की जाएगी।

7.इच्छुक आवेदकों के लिए जॉनलाइन विड/बोली हेतु class III Singing type विडियो लिपेचर सर्टिफिकेट (DSC) होना आवश्यक है। एम०एस०टी०सी० के उत्क्रम कोई रट-जाकर अहीं आवेदक अपने नंबरिंग की कार्यवाही सभी करने के बाबत ही इनियिटिवा सह इनीलामी में भाग ले सकेंगे। इनियिटिवा सह इनीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया के द्वारा न ही० एस०टी० की वैधता बनाने रखने की लिमिटेड आवेदक की होगी।

8.पर्वीकृत आवेदक नियारित नोट्स पर प्रत्येक खेत्र के लिए अलग अलग नोट्स शुल्क एवं प्रत्येक औन्त हेतु नियारित श्रेष्ठ सभी० एम०एस०टी०सी० के नोट्स पर प्रदानित प्रक्रिया के अनुसार एम०एस०टी०सी० के पेमेट गेटवे के माध्यम से जमा करना होगा। किसी अस्ति/फर्म/कंपनी के नक्से में पूर्व से 02 (दो) फोल या कुल 50 हेक्टेयर ज्ञावफल से विड-प्रधिक के ब्रान्स पट्टे धारित होने पर वे विड में भाग नहीं से सकेंगे। इच्छुक अस्ति/फर्म/कंपनी (आवेदक) इनियिटिवा सह इनीलामी में भाग लेने के लिए सरकार के नक्से में ₹०-15,000 (रु०. पन्द्रह हजार) का ज्ञावेदन शुल्क एम०एस०टी०सी० पेमेट गेटवे के माध्यम से जमा करना होगा, जो अप्रतिरोध (Non refundable) होगा।

9.इनियिटिवा सह इनीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक अस्ति/फर्म/कंपनी की एम०एस०टी०सी० में नंबरिंग कराना अनिवार्य होगा। नंबरिंग हेतु व्यक्ति/कंपनी कंपनी को इनीलामन पोर्टल www.mstcecommerce.com पर उत्क्रम ज्ञावलाइन कॉर्म भरना पड़ेगा जिसके द्वारा वर्षने लिए स्वयं नियत नुम्बर जाई०टी० एवं ज्ञावफल के नामेंगे। इस ज्ञावलाइन पर्वीयन के उत्क्रम विडस को एम०एस०टी०सी० का ज्ञावलाइन कॉर्म भेजा जानिवार्य होगा, साथ ही विडस की वार्षिक नंबरिंग जूलक जी० एस०टी० सहित ₹०-2,360 (रु०. दो हजार तीन सौ चाह पाँच) एम०एस०टी०सी० पेमेट गेटवे के माध्यम से ज्ञावलाइन देन होगा। जानिवार्य अप्रतिरोध एवं वार्षिक नंबरिंग कराना शुल्क की प्राप्ति के बाधात ही विडस का जागिन आइ०टी०। ज्ञावफल एवं अकाउट-एम०एस०टी०सी० के नियारित नोट्स पर जाल (Activate) होगा। पूर्व में नंबरिंग विडस जिसके पंजीकरण ही जन्मति विभव है, उन्हें नंबरिंग करा शुल्क देना नहीं होगा। ज्ञावलाइन देने के अनुसार आवेदक अप्रतिरोध ज्ञाव विडियो लिपेचर/ज्ञावाण पर स्कैन कर एम०एस०टी०सी० के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

10.पर्वीकृत हेतु विडस द्वारा स्वाक्षरणित ज्ञाव अप्रतिरोध/ज्ञावाण पर स्कैन कर एम०एस०टी०सी० के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

- 1) आवेदक के ज्ञावाण काहूं की प्रति, फर्म की दस्ता में फर्म के भागीदारों के ज्ञावाण काहूं की प्रति तथा कंपनी के मामले में कापोरिट अफेयर्स मंत्रालय सरकार द्वारा निर्गत कंपनी के प्रबंध मिशन का Director Identification Number (DIN) के ज्ञाव नक्से की प्रति।

रत्नगर्भ वसुन्धरा

UP

MINE MITRA

2) आवेदक का अद्वाधिक चरित्र प्रमाण पत्र, कर्म के मामले में आगीदारों के अद्वाधिक चरित्र प्रमाण की प्रति तथा कंपनी के मामले में प्रबंध निदेशक का इस आशय का शेष पत्र की कंपनी को किसी अपराधिक बाट में दण्डित नहीं किया गया है। चरित्र प्रमाण पत्र दस विले जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त होगा, जहाँ आवेदक स्थाई रूप से निवास करता हो।

3) आवेदक का ऐनकार्ड की प्रति, फर्म वा कंपनी के मामले में उसका ऐनकार्ड एवं जी०एस०टी० नं० की प्रति।

4) वैक खाते का विवरण, जिससे है-निविदा मह०ई-नीलामी से सम्बंधित सुप्रस्तुत विविध हस्तांतरण किया जायेगा, यथा वैक का नाम, खता संख्या आई०एफ०एस०सी० कोड, तथा एक निरस्त चेक की प्रति।

5) जिलाधिकारी अध्यवाच प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया खनन देव बकाया न होने का प्रमाण पत्र। जहाँ आवेदक राज्य के भीतर कोई बनिव परिहार भारित नहीं करता है वहाँ इस आशय का शेष पत्र की प्रति।

6) स्वर्य और हैसियत प्रमाण पत्र अध्यवाच हैसियत प्रमाण पत्र के साथ वैक गारंटी, जो बोली की धनराजि के 25 प्रतिशत की कीमत से कम न हो।

11. एम०एस०टी०सी० द्वारा घटत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की बैंकमाइंट में बंगली प्रमाण पत्र एवं जैक लिस्ट की सूची में मिलान करने के उपरान्त केवल उन्हीं व्यक्ति/फर्म/कंपनी का पंजीकरण किया जायेगा, जो उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत अहूं है। नियम-26 के अनुसार निजलिखित व्यक्ति/फर्म/कंपनी है-निविदा मह०ई-नीलामी प्रक्रिया में आग नहीं ले सकते हैं।-

1) जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं है।

2) जिसके विवद खनिव देव बकाया है।

3) जिसने उस विले के जिलाधिकारी अध्यवाच प्राध्यकृत अधिकारी वहाँ वह स्थाई रूप से निवास करता है से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर जिया है। शर्त वह है कि उन्हें चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस सहायता के आधार पर दिया गया है।

4) जिसने अपने आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत न की है।

5) जिसका नाम कानी सूची में दर्ज हो।

6) फर्म/कंपनी के मामले में जिसने ऐनकार्ड तथा जी०एस०टी० पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया है।

7) जिसने हैसियत प्रमाण पत्र अध्यवाच हैसियत प्रमाण पत्र के साथ वैक गारंटी, जो बोली की धनराजि का 25 प्रतिशत की कीमत से कम न हो प्रस्तुत न किया है।

12. ऑनलाईन है-निविदा डालने तथा है-नीलामी की बोलने की विधि का पूर्ण विवरण सेवा प्रदाता संघा एम०एस०टी०सी० के बेब पोर्टल www.mstcecommerce.com पर प्रदर्शित की जायेगी।

13. है-निविदा सह है-नीलामी में भाग लेने के लिये इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कंपनी को प्रधिक जैक के लिये पृष्ठक-पृष्ठक स०-15000 (स० पन्द्रह हजार रुपय) का शुल्क जो अप्रतिदिय होगा तथा अनेस्ट-सनी जो विज्ञप्ति में जैक के नाम सम्पूर्ण अंकित हो, जमा किया जाना होगा।

14. सफल बोलीदाता/निविदादाता को छोड़कर शेष बोलीदाता/निविदादाता द्वारा जमा बदाने की धनराजि (अनेस्ट-सनी) पंजीकरण के समय दिये गये वैक खाते में बापस कर दी जायेगी। आवेदक द्वारा पंजीकरण के समय दिये गये वैक खाते में बदलाव मान्य नहीं किया जायेगा। विवेष परिस्थितियों में निदेशक, भूताव एवं खनिकर्म निदेशालय के अनुमोदन उपरान्त वैक खाते का बदलाव किया जा सकता है।

15. जहाँ किसी भी कारण से है-निविदा सह है-नीलामी की प्रक्रिया पूरी न हो वहाँ कम से कम 07 दिन की अल्प अवधि की नोटिस देने के पश्चात पूर्ण है-निविदा सह है-नीलामी की जा सकती है।

16. अधिकतम दो खनन पढ़े या 50 हेठो से अधिक के जैक को उ०प्र० राज्य में किसी व्यक्ति/फर्म/कंपनी के पक्ष में स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि किसी निरस्थितियों में एक व्यक्ति/फर्म/कंपनी द्वारा अपने पक्ष में दो खनन पढ़े या 50 हेठो से अधिक के खनन पढ़े स्वीकृत करा लिया जाता है तो अन्त में स्वीकृत खनन पढ़े निरस्त कर पढ़ा अन्तर्गत जमा सम्पूर्ण धनराजि जल कर ली जायेगी तथा केवल प्राप्तम के दो जैक अवधि 50 हेठो के खनन पढ़े ही अनुमत्य होती है। परन्तु यदि आवेदक स्वर्य खनन पढ़े या 50 हेठो से अधिक के खनन पढ़े हेतु जारी लेटर आफ इंटर्न की सूचना देता है तो उक सीमा के अन्तर्गत कोई भी खनन पढ़ा जैक के चयन का उसे अधिकार होगा तथा शेष जैकों की जमा धनराजि पृष्ठके उपरान्त यथावत बापस कर दी जायेगी।

17. है-निविदा सह है-नीलामी की प्रक्रिया:-

1) है-निविदा सह है-नीलामी दो भागों में जी० जायेगी। प्रथम भरण में जैवल है-निविदा विज्ञापन में निर्धारित तिथि एवं समय के अन्तर्गत डाली जायेगी। विड की दर प्रत्येक उपखनिज के लिये प्रतिवर्ष भीटर के लिये दी जायेगी जो सम्बन्धित उपखनिज के लिये नियमावली-2021 के अनुसूची-1 में उल्लिखित राज्यली की दर से कम नहीं होगा। विज्ञप्ति के अनुसार जैवबार प्राप्त है-निविदा को एक साथ न बोलकर पृष्ठक-पृष्ठक खोला जायेगा। प्रत्येक जैक के प्रथम भरण की है-निविदा बोलने के उत्तराल 02 वर्षट बाद द्वितीय भरण की है-नीलामी की कारबाही प्राप्तम की जायेगी।

2) प्रथम भरण की समाप्ति के उपरान्त निजानुसार प्रक्रिया अप्रमाणी जायेगी।-

(क) यदि प्रथम भरण में एक ही विड प्राप्त होती है और उस विड (आफर) में प्रति जैक मीटर दिया गया दर नियमावली-2021 के प्रथम अनुसूची में उस उपखनिज के लिये निर्धारित राज्यली दर से अधिक है तथा भेष भर्ते पूर्ण करता हो तो जिलाधिकारी जैक की भीगोलिक स्थिति, खनिव की उपलब्धता, खनिव की सुधारबता, उपखनिज का बाजार मूल्य, उस जैक में खनिव की मात्रा, जैक में अवैध खनन की सम्भावना, राजस्व की प्राप्ति आदि पर विचार करते होये स्वविवेक से एकल मिविदादाता के पक्ष में लेटर आफ इंटर्न जारी करने अधिका

(ख) यदि प्रथम भरण में एक ही विड प्राप्त होता है और उस विड (आफर) में प्रति जैक मीटर में दिया गया दर नियमावली-2021 के प्रथम अनुसूची में उस उपखनिज के लिये निर्धारित राज्यली दर से अधिक परन्तु 400 प्रतिशत से कम है तो जिलाधिकारी जैक की भीगोलिक स्थिति, खनिव की उपलब्धता, खनिव की सुधारबता, उपखनिज का बाजार मूल्य, उस जैक में खनिव की मात्रा, जैक में अवैध खनन की सम्भावना, राजस्व की प्राप्ति आदि पर विचार करते होये स्वविवेक से एकल मिविदादाता के पक्ष में लेटर आफ इंटर्न जारी करने अधिका

न करने के सम्बन्ध में निर्णय लेगी।

(ग) यदि प्रथम चरण में एक से अधिक परस्त पाँच वा पाँच से कम विवाह प्राप्त होता है तो सभी विवाह कर्ता द्वितीय चरण की ई-नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अहं हांगे तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंड जारी किया जायेगा।

(घ) यदि पाँच से अधिक विवाह/आफर प्राप्त होते हैं तब केवल पाँच सर्वाधिक जिलाधिकार ही द्वितीय चरण की ई-नीलामी में भाग लेने हेतु अहं हांगे हप्ता द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में ही जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंड जारी किया जायेगा।

3) उपरोक्त प्रस्तर-17(2)(ग)(घ) के अनुसार प्रथम चरण के योग्य बोलीदाता द्वितीय चरण की नीलामी में भाग ले सकते हैं।

4) द्वितीय चरण में ई-नीलामी की प्रक्रिया की जायेगी। ई-नीलामी की प्रक्रिया प्रथम चरण की अनुसारित प्रक्रिया होगी, जिसमें प्रथम चरण में प्राप्त उम्रतम विवाह/आफर द्वितीय चरण की ई-नीलामी के लिये न्यूनतम बोली (Floor Price) स्वतः निर्धारित हो जायेगी।



UP MINES MITRA

5) इ-नीलामी की प्रक्रिया जो इ-निविदा खोलने के के तत्काल हो पर्हें बाद जारी होगी, मैं इच्छुक एवं इसही व्यक्ति/पर्यटकपनी बोली में कई बार भाग ले सकता है। इ-नीलामी की अंमलाइन प्रक्रिया में स्क्रीन वर अधिकतम बोली प्रदर्शित होती रहेगी और प्रदर्शित बोली से अधिक बोली अंमलाइन ही दिया जा सकता है।

6) निर्धारित समय के पश्चात बोली बन्द हो जायेगी और उसके उपरान्त कोई बोली नहीं दिया जा सकता है। बोली के अन्तिम समय में यदि कोई और बोली प्राप्त होती है तो नीलामी की बोली का समय इवतः 05 मिनट के लिये बढ़ जायेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक 05 मिनट के अन्तराल में कोई और बोली प्राप्त नहीं होती है।

7) इ-निविदा सहै इ-नीलामी की कालयोजना एवं अवधि नियमानुसार सम्पादित की जायेगी।-

प्र-किट अनेस्ट नभी उपाय करने की क्रिया	इ-निविदा के नई प्रभावपूर्ण फीडीओ के अन्तरिक्ष में किट हैप्पी एवं अनेस्ट फूल एम्पीरीजी डेवलपर रर कॉर्टिन डिजिटो के अनुसार बना बड़े ओवरलेट बोलीयों की है। ये बोलीयों बहु-सुधारित करते हैं।
उपर वरना इ-निविदा (ई-टेक्स्ट) की क्रिया	16-01-2025 (10:00 बजे) से 20-01-2025 (17:00 बजे) तक
विवरित में देखें अधिक संख्या	इनमें वरना जो इ-निविदा (विक्र) का बोला जाना के सूचनाएँ
1	21-01-2025 10:00 से 12:00 तक
2	21-01-2025 10:00 से 12:00 तक
3	22-01-2025 10:00 से 12:00 तक

8) परिणाम की व्याख्या एवं उसका प्रदर्शन:-

(अ) प्रथम चरण की निविदा प्रक्रिया का परिणाम निविदाकार (Tenderer) के लाभित पर व्यक्तिगत होगा। प्रथम चरण के निविदा प्रक्रिया के समापन के पश्चात अधिकतम निविदा इनराइज (विडिंग एमाउन्ट) प्रदर्शित की जायेगी। सभी निविदाकार द्वितीय चरण की बोली हेतु वे योग्य हैं अथवा नहीं को भी लाभित कर सकते हैं।

(ब) एकल निविदा के मामलों को छोड़कर शेष मामलों में द्वितीय चरण की इ-नीलामी समाप्त होने के उपरान्त प्राप्त अधिकतम बोली उसके बोलीदाता का विवरण एम्पीएस०टी०पीसी० के निर्धारित पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

18. पट्टे का दिया जाना: नियमावली के नियम-28 के प्राविधानों के अनुसार इ-निविदा सहै इ-नीलामी के मामले में उस बोली वा प्रस्ताव को उपरोक्त प्रस्तर-17(2) में दिये गये प्रक्रिया के अनुसार जिलाधिकारी स्वीकार करते हैं। जिलाधिकारी हारा सकत एवं नियमानुसार अर्ह बोलीदाता/निविदादाता को उनके द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेख के सत्यापन के एक समाह के अन्दर लेटर आफ इन्टेंट निर्गत किया जायेगा।

19. इ-नीलामी समाप्त होने के पश्चात 03 कार्य दिवस के अन्दर सफल बोलीदाता को अपने मूल अभिलेख का सत्यापन उस जनपद के जिलाधिकारी, जहाँ भेज स्थित है, के द्वारा कराना होगा। अभिलेख-सत्यापन के पश्चात ही जिलाधिकारी द्वारा आग्रह पत्र (लेटर आफ इन्टेंट) जारी किया जायेगा। सत्यापन में यदि कोई अभिलेख अथवा प्रमाण पत्र कठोरचित्, असाध अधिकारी सकत पाया जाता है तो लेटर आफ इन्टेंट जारी नहीं किया जायेगा तथा बयाने की इनराइज (अनेस्ट मरी) बत्त कर ली जायेगी।

20.लेटर आफ इन्टेंट में नियम विवरण होगे :-

1) प्रथम वर्ष के लिये देव नीलामी इनराइज की गणना पट्टा भेज के लिये विज्ञप्ति में ऑफलिंग मात्रा वर्ष मीटर को इ-निविदा/इ-नीलामी की दर रुपया वर्ष प्रति मीटर से गुणा कर निकाली जायेगी। खनन पट्टा के अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष विछुले वर्षों की नीलामी की देय इनराइज पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

2) सकल बोलीदाता/निविदादाता, पट्टे की निर्बन्धनों और शर्तों का धोषित पालन करने के लिये प्रतिभूति के रूप में प्रथम वर्ष के लिये बोली/निविदा की सकल धनराजि का 20 प्रतिशत दो कार्य टिक्सो के अन्दर जमा करेगा। बयाने की इनराइज (अनेस्ट मरी) प्रथम किस्त में समायोजित कर ली जायेगी।

3) पट्टे के प्रथम वर्ष की शेष किस्त एवं अनुवर्ती वर्षों में बोली/निविदा के आधार पर प्रथम वर्ष के लिये निर्धारित सकल धनराजि पर प्रत्येक वर्ष विनाश वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ नियमावली-2021 के पंचम अनुसूची के अनुसार जमा की जायेगी। पूर्व के परिहारधारकों द्वारा पंचम अनुसूची प्रक्रिया अन्तर्गत धनराजि जमा करने के अनुरोध पर जिलाधिकारी द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

4) पट्टाधारक नियम-17 के प्राविधानों के अनुसार भेज का सीमाकंत करायेगा जिसमें सीमा विनुकों का जिको-कोआईनेट्स भी इनिशियाल वार्षिक इन्टर्व्यू और योजना के अनुरक्षण करेगा।

5) प्रत्येक पट्टाधारक द्वारा नियम-35 के अनुसार भेज के भूमि-इन्वाइट और पूरी वासन उपाय हेतु वित्तीय अव्यासन की धनराजि निर्धारित रीति से जमा करेगा।

6) आग्रह पत्र (लेटर आफ इन्टेंट) जारी होने के एक माह के भीतर अनुमोदन हेतु देव प्रतिभूति एवं प्रथम किस्त की धनराजि जमा के प्रमाण सहित खनन योजना निवेशक भूतत्व एवं व्यानिकर्म के समाझ प्रस्तुत किया जायेगा तथा अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के एक माह के भीतर सक्रम प्राधिकरण के समझ पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

7) पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर पट्टा विलेख का निष्पादन कराकर खनन संक्रिया तत्काल प्रारम्भ की जानी होगी।

21.सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा धनराजि जमा करने की रीति:-

1) पट्टे की अधिकतम अवधि 05 वर्ष होगी, परन्तु बोली/निविदा की इनराइज प्रथम वर्ष के लिये मात्री जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मात्रा वर्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में अनुमत्य मात्रा से भिन्न होने पर पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की मात्रा अनुमत्य होगी। पट्टा भेज हो

अनुमति मात्रा को प्रथम वर्ष के लिये प्राप्त बोली की दर से गुणा कर प्रथम वर्ष हेतु नीलामी की धनराशि निर्धारित की जायेगी। अनुवर्ती बचों में प्रत्येक वर्ष प्रियदर्शन वर्ष की दर पर 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की जायेगी तथा अनुसार प्रथम वर्ष एवं अनुवर्ती वर्षों के लिये पट्टा धनराशि नियमावली-2021 के पंचम अनुसूची के अनुसार पट्टाधारक ढारा जमा की जायेगी।

2) लेटर आफ इन्टेंड्राम होने के उपरान्त सफल बोलीदाता/निविदादाता ढारा 25 प्रतिशत प्रतिभूति जमा एवं 20 प्रतिशत प्रथम किसी अर्थात् पहुँचे के प्रथम वर्ष के लिये निर्धारित पट्टा धनराशि का 45 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि सम्बन्धित जनपद में विभाग के निर्धारित लेखालीपक में लेटर आफ इन्टेंड जारी होने के दो कार्य दिवसों के अन्दर प्री क्रिड अर्नेस्ट मर्नी समाचारित करते हुये जमा किया जाना होगा। प्रीक्रिड अर्नेस्ट मर्नी की धनराशि एम०एस०टी०सी० हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को चेक/हाफ्ट के माध्यम से अथवा जानलाइन हस्तान्तरित की जायेगी। यदि सफल बोलीदाता/निविदादाता उक्त धनराशि जमा करने में असफल होता है तो उसके द्वारा जमा अर्नेस्ट मर्नी जनपद कर्ता ने जायेगी और उसके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नहीं होगा।

3) प्रथम वर्ष के लिये मेघ 80 प्रतिशत पट्टा धनराशि एवं आगामी बचों के लिये पट्टा धनराशि नियमावली में निर्धारित पंचम अनुसूची के अनुसार पट्टाधारक ढारा जमा की जायेगी। उक्त अनुसूची में नियम तिथि के अनुसार देश धनराशि जमा ज करने की दजा में नियम-59 के अनुसार देश धनराशि व्याज सहित बसूल की जायेगी।



**UP
MINES MITRA**

4) पट्टाधारक ड्वारा पट्टा धनराशि के किसीलो के सापेक्ष राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर लिखारित कर एक शुल्क यथा आवश्यक विभाग का टी०पी०एम०, जिसा खनिज फाराइदेशन (टी०एम०एफ०) बाटि नियमानुसार जमा किया जायेगा।

22. जरूरी :-

1) ई-निविदा सह है-नीलामी में भाग लेने से पूर्व ज्ञेत्र में ओकलित उपचानित की मात्रा, गुणवत्ता एवं खनन स्थल के लिये पहुँच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मैके का निरीक्षण कर विडर स्वर्च लाघवत हो जे ले। ई-निविदा सह-नीलामी में भाग लेने के पछात इस सम्बन्ध में किसी भी ब्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2) पहुँच के अधीन दिये गये ज्ञेत्र के सर्वेक्षण और सीमाईन के समय सीमाकित मानचित्र पर खनन पट्टा ज्ञेत्र का कार्डिनेट्स अंकित किया जायेगा तथा पट्टा विलेख निष्पादन करने के पूर्व पट्टाधारक अपने स्वयं के व्यव पर ऐसे सीमा चिन्ह को और खंड्व की लगायेगा जो पट्टा विलेख से संलग्न तक्षे में दर्शाएं गये सीमाकंन को दृगित करने के लिये आवश्यक होगा।

3) पट्टा विलेख के निष्पादन के दिनांक से तत्काल खनन संक्रियाये प्रारम्भ करेगा और तत्काल हानि जानवृत्त कर कोई स्थगन किये जिना ऐसी खनन संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षता पूर्ण रूप से कुलाल कारीगर की भाँति करेगा।

4) पट्टाधारक नियम-36 के अनुसार बाहनों के प्रवेश व निकार्मी पर नियमानी के लिये स्वयं के व्यव पर 360 दिनी कोण पर दूर्घात रिकार्डिंग के योन्य जार सी०सी०टी०पी०टी० केमरा लगाने सहित चैक बीस्ट/भेड/हौल मशीन का निरीण करेगा। पट्टाधारक ड्वारा उक्त चैक बीस्ट/ भेट-पर अर०एफ०ज०ई०ही० स्कैनर वी रखेगा, जिससे सम्बन्धित खनन पट्टा ज्ञेत्र से उपचानिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त अत्येक बाहन के सारेक निर्गत किये गये हैं- प्रपत्र एम०एम०-11 पर अंकित बाह कीड़ा का बाटा पड़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा हानि बार उसका समुचित रूप से रब-रखाव करेगा एवं सदैव उसे जाल रूप में अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त सी०सी०टी०सी० केमरे और आर०एफ०ज०ई० स्कैनरों ड्वारा की गई समस्त रिकार्डिंग जो कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम-67 के उपलब्धों के अधीन प्राप्तिकृत अधिकारी के ड्वारा रिकार्ड मार्ग जाने पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करायेगा।

5) पट्टाधारक प्रत्येक बाहन को है-एम०एम०-11 सही विवरण सहित जारी करेगा। प्रत्येक बाहनों की निर्गत है-एम०एम०-11 पर अनित बार कोड को चैक भेट पर पड़ने तथा दर्ज डाटा जेव करने के लिये आर०एफ०ज०ई० स्कैन लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उन्हें सही एवं चालू दशा में रखेगा। उसका अनुपालन त करने की दशा में नियमावली-2021 के नियम-60 के अन्तर्गत साइट काभारीदार होगा।

6) वटुदार 03 मीटर की गहराई अथवा जल स्तर में से जो कम हो, से अधिक महराई में खनन संक्रियाये नहीं करेगा।

7) जिलाधिकारी ड्वारा चिह्नित सुरक्षा ज्ञेत्र में खनन नहीं किया जायेगा।

8) नदी की जलधारा में सक्षण भरनी, लिफ्टर आदि भरनीनों ड्वारा खनन कार्य तहीं किया जायेगा।

9) स्वीकृत ज्ञेत्र के अन्दर वहां परिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा, वहां पर खनिज का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा।

10) यदि पट्टाधारक ड्वारा नियमों व खनन पट्टा, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन योजना आदि की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो पट्टुदार को अपना नामला बठाने की युक्ति सुन्दर अवसर पठान करने के पछात जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार ड्वारा पट्टा समाप्त किया जा सकता है।

11) विज्ञप्ति ज्ञेत्रों के सम्बन्ध में पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही मार्ग उच्च न्यायालय, मार्ग राष्ट्रीय हरित अधिकरण अथवा मार्ग सर्वोच्च न्यायालय ड्वारा पारित अदेशों के अधीन होगी।

12) नियमों एवं नारों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप यदि कोई बाद अथवा अपराधिक प्रक्रिया दोजित होती है तो इसकी सम्पूर्ण नियमेदारी पट्टाधारक की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई अवैध होता है तो उसका बहन पट्टाधारक ड्वारा किया जायेगा।

13) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार ड्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई नई अथवा विभिन्न प्रब्लेमिंग की जाती है तो वह पट्टाधारकों को मानव होगी।

14) गर्त संडरा-19 के अनुसार है-नीलामी के पछात 03 कार्य दिवस के अन्दर मूल अभियंत्र का संवापन नहीं कराने पर वयाने की धनराशि (अनेस्ट मनी), बजार कर ली जायेगी।

15) पट्टाधारक ड्वारा वन अनापति एवं पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की गतों का अनुपालन किया जायेगा। खनिजों के परिवहन के लिये वन पूर्मिका भरनी का प्रयोग नियमानुसार वन विभाग से अनुमति प्राप्त कर किया जायेगा।

16) त्रकारित विज्ञप्ति में यदि किसी त्रकार का कोई संगोष्ठन किया जाता है तो, संगोष्ठन की सूचना www.mstcecommerce.com पर प्रदर्शित की जायेगी। विज्ञप्ति में संगोष्ठन की सूचना अलग से आवेदक की नहीं दी जायेगी।

17) सार्वतनिक सड़क, जलाशय, नहर, रेलवे/रेलवे लाइन, निविदत स्थल से 50 मीटर तथा नदी पर वने पुल से न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के अन्दर कोई खनन कार्य नहीं किया जायेगा।

18) पट्टा समाप्ति के उपरान्त पर्यावरणीय स्वीकृति अनुवत्ती प्रस्तावक को अन्तरित किये जाने में प्रस्तावक को कोई आपत्ति नहीं होगी।

जिलाधिकारी
Banda |

प्रारंभिक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित जो सुन्नताये एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजित।

- प्रमुख, सचिव, उ०प्र०) शासन, धूतत्व एवं खनिजकर्म अनुभाग लखनऊ।
- निदेशक, धूतत्व एवं खनिजकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
- आसुक्त, Banda मण्डल Banda।

4. शाखा प्रबंधक MSTC Limited मूलतः वेयर हाउसिंग भवन CWC ब्लैकीय कार्बोलिय परिसर विभूतिक्षेत्र गोमर्हतालगढ़ लखनऊ 226010।
5. प्रधारी-अधिकारी, भूतलक एवं खनिकम् विभाग, शेत्रीय कार्बोलिय, Banda।
6. प्रभागीय बनाडिकारी, Banda।
7. जिला सूचना अधिकारी Banda को व्यापक बचार प्रसार हेतु।
8. जिला सूचना अधिकारी, Banda को जिले की वेदमाइंट पट अपलोड करने हेतु।
9. उपजिलाअधिकारी, Banda को इस निर्देश के साथ कि विज्ञप्ति का व्यापक बचार प्रसार कराये।
10. नाविर सदर, कलेक्टर Banda को कलेक्टर के सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।

जिलाअधिकारी
Banda।



UP
MINE MITRA